

लॉकर किराया - 1 दिसंबर 2017 से

लॉकर किराया - वार्षिक (रु.)						
लॉकर का आकार	लॉकर की श्रेणी	लंबाई चौड़ाई (इंच में)	प्रकार	शाखा श्रेणी		
				ए	बी	सी
छोटा	ए	5 x 6 x 19	बेस	1,500	1,100	700
	बी	6 x 8 x 19	प्रीमियम	1,600	1,200	800
मध्यम	सी	5 x 14 x 19	बेस	3,000	2,200	1,200
	डी	7 x 10 x 19		3,000	2,200	1,200
	ई	6 x 16 x 19	प्रीमियम	3,200	2,400	1,300
	ईएक्स	12 x 8.5 x 19		3,200	2,400	1,300
बड़ा	एफ	11 x 14 x 19	बेस	6,000	5,400	3,200
	जी	7 x 21 x 19		6,000	5,400	3,200
	जीएक्स	16 x 12 x 19	प्रीमियम	7,000	6,400	5,200
	जीवाई	12 x 16 x 19		7,000	6,400	5,200
ज्यादा बड़ा	एच	12 x 21 x 19	बेस	10,000	8,500	6,500
	एचएक्स	15 x 20 x 19	प्रीमियम	11,000	9,500	7,500
	के	16 x 21 x 19		11,000	9,500	7,500

लॉकर अतिदेय प्रभार (रु.) (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद लिया जाएगा)	
तिमाही	अतिदेय प्रभार
पहली तिमाही	वार्षिक किराए का 10%
दूसरी तिमाही	वार्षिक किराए का 20%
तीसरी तिमाही	वार्षिक किराए का 30%
एक वर्ष	वार्षिक किराए का 40%

प्रशासनिक प्रभार# (जीएसटी के बिना)*			
एक बारीय प्रशासनिक प्रभार (वापस नहीं किया जाएगा)	555	280	280

अन्य लागू प्रभार	
लॉकर विजिट प्रभार @	प्रत्येक वर्ष 12 विजिट निःशुल्क; उसके बाद 100 रुपए प्रति विजिट
ग्राहक से चाबी खो जाने पर चाबी बदलना	रु. 500/- + वास्तविक खर्च
लॉकर परिचालन के अनूदेशों में	पहला बार - निःशुल्क उसके बाद हर बार बदलने पर - रु. 100/-

* लागू जीएसटी , सभी प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभाय होगा .

विभिन्न ग्राहक खंडों को रियायत /निःशुल्क ऑफर दिये जाने के बावजूद सभी मामलों में देय.

@ पावर प्लस, प्रेफर्ड, रॉयल, रॉयल प्लस और क्राउन के वेतन खाता प्रकार तथा उनसे ऊपर और अलग समझौता जापन द्वारा नियंत्रित कॉर्पोरेट पेट्रोल प्रकारों के लिए लागू नहीं.

- 1) स्टाफ सदस्य केवल लॉकर के वार्षिक किराए पर 50% छूट के लिए पात्र होंगे. लागू योजना कोड केवल आरएसएसटीएफ़ अथवा आरएसएसओडी.
- 2) सुपर शक्ति महिला खाता धारक सभी आकार के लॉकरों के लिए लॉकर के वार्षिक किराए में 25% छूट के लिए पात्र होंगी..प्रति खाता केवल एक लॉकर पर छूट उपलब्ध होगी.. प्रारंभ में किराए पर कोई छूट नहीं होगी. यदि ग्राहक पूरे वित्तीय वर्ष की चारों तिमाहियों में 5,000 रुपये का न्यूनतम तिमाही शेष (एमएबी) रखती हैं तो छूट लागू होगी और अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ग्राहक के खाते में छूट की राशि जमा कर दी जाएगी.
- 3) जुबली प्लस खाता धारक सभी आकार के लॉकरों के लिए लॉकर के वार्षिक किराए में 25% छूट के लिए पात्र होंगे..प्रति खाता केवल एक लॉकर पर छूट उपलब्ध होगी.. प्रारंभ में किराए पर कोई छूट नहीं होगी. यदि ग्राहक पूरे वित्तीय वर्ष में चारों तिमाहियों में 5,000 रुपये का औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) रखता है तो छूट लागू होगी और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ग्राहक के खाते में छूट की राशि जमा कर दी जाएगी..
4. पॉवर प्लस खाताधारक सभी लॉकरों पर लॉकर के वार्षिक किराए में 25% छूट के लिए पात्र होंगे..प्रति खाता केवल एक लॉकर पर छूट उपलब्ध होगी. प्रारंभ में किराए में 50% की छूट इस सूचना के साथ दी जाएगी कि एमएबी / एफडी न रखे जाने के मामले में छूट की राशि वसूल की जाएगी.
- 5) प्रिफर्ड खाता धारक लॉकर के वार्षिक किराए में 50% छूट के लिए पात्र होंगे. प्रति खाता केवल एक लॉकर पर छूट उपलब्ध होगी. प्रारंभ में किराए में 50% की छूट इस सूचना के साथ दी जाएगी कि एमएबी / एफडी न रखे जाने के मामले में छूट की राशि वसूल की जाएगी.
- 6) आईडीबीआई रॉयल: छोटे आकार के लॉकर नि:शुल्क (* टियर ए शहरों के लिए ए * आकार के लॉकर) अथवा अन्य आकार के लॉकरों पर 50% की छूट. प्रति खाता केवल एक लॉकर पर छूट उपलब्ध होगी.
- 7) रॉयल प्लस: "ए *" से "जी" आकार के लॉकर (टियर- ए) नि:शुल्क अथवा अन्य आकार के लॉकरों पर 50% की छूट. प्रति खाता केवल एक लॉकर पर छूट उपलब्ध होगी.
- 8) कॉरपोरेट पेरोल छूट , लिये गए सैलेरी खाते के अनुसार उपलब्ध होगी

*एलएमएस के अनुसार ए श्रेणी को छोटा लॉकर माना जाएगा

प्रथम खाता धारक के हस्ताक्षर
Signature of first holder

द्वितीय खाता धारक के हस्ताक्षर
Signature of Second holder

तृतीय खाता धारक के हस्ताक्षर
Signature of Third holder